पत्र संख्या–11/आ०नी०–I–10/2023 सा०प्र० 21485 /

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

मो० सोहैल (भा०प्र०से०),
सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव।
सभी विभागाध्यक्ष।
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
सचिव, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, पटना।
सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, पटना।
सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।
परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना।
निबंधक, महाधिवक्ता, बिहार का कार्यालय, उच्च न्यायालय, पटना।
सचिव, बिहार राज्य विश्व विद्यालय सेवा आयोग, पटना।
सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना।
सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, पटना।
सचिव, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक 22/11/23

विषयः– **बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अधिनियम, 2023 (बिहार अधिनियम, 19/2023) के आलोक में रोस्टर क्लीयरेंस संबंधी विस्तृत दिशा–निदेश।**

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार अधिनियम, 19/2023 द्वारा सरकारी सेवाओं में नियुक्ति मे आरक्षित वर्गों को निम्न प्रकार संशोधित आरक्षण प्रतिशत का प्रावधान किया गया है :–

अनुसूचित जाति	–	20 %
अनुसूचित जनजाति	–	02 %
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	–	25 %
पिछड़ा वर्ग	–	18 %
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	–	10 % (बिहार अधिनियम–2/2019 द्वारा पूर्व से प्रावधानित)

उक्त संशोधित अधिनियम के आलोक में रोस्टर क्लीयरेंस के संबंध में निम्नांकित विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं :–

(i) माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका सिविल संख्या–79/1979 (आर० के० सबरवाल एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य) में दिनांक–10.02.1995 को पारित

आदेश के अनुसार पद आधारित रोस्टर क्लीयरेंस का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत स्वीकृत बल के आधार पर प्रत्येक आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग को उनके आरक्षण प्रतिशत के अनुसार पद अनुमान्य कराये जाते हैं। इस व्यवस्था को तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–117 दिनांक–30.09.1995 द्वारा लागू किया गया है, जो आज तक प्रचलित है।

(ii) किसी संवर्ग में पद विशेष को भरने के क्रम में प्रकाशित किये जाने वाले विज्ञापन में बैकलॉग रिक्तियों तथा चालू रिक्तियों को अलग–अलग स्पष्ट रूप से प्रकाशित किया जायेगा।

(iii) नियुक्ति हेतु प्रथम समव्यवहार में बैकलॉग की स्थिति नहीं बनती है, अतः रोस्टर बिन्दु–01 से प्रारम्भ कर संलग्न मॉडल रोस्टर (एनेक्सचर–1) के अनुसार रोस्टर क्लीयरेंस की कार्रवाई की जायेगी।

(iv) पूर्व से नियुक्त/कार्यरत पिछड़े वर्गो की महिलाएं (WBC) कोटि की महिला कर्मी अपने संगत आरक्षित मूल कोटि यथा–अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग में गिनी जायेंगी।

(v) छोटे स्थापना वाले संवर्ग में आरक्षण प्रतिशत के आधार पर अनुसूचित जनजाति को पद उपलब्ध कराने में व्यवहारिक कठिनाई उत्पन्न होती है, अतः किसी रोस्टर क्लीयरेंस के क्रम में अनुसूचित जनजाति को अनुमान्य बिन्दु (18/84) व्यवहृत होने पर यथास्थिति उसे पद उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(vi) ऐसे छोटे स्थापना वाले संवर्ग, जिसमें आरक्षण प्रतिशत के अनुसार पद अनुमान्य कराने में कठिनाई हो रही हो, ऐसी स्थिति में रनिंग रोस्टर (अर्थात यथास्थिति रोस्टर बिन्दु) के अनुसार रोस्टर क्लीयरेंस की कार्रवाई की जा सकेगी।

(vii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को तब तक चालू रिक्ति (Current Vacancy) का 10 प्रतिशत पद अनुमान्य होता रहेगा, जब तक कि उसे कुल स्वीकृत पद का 10 प्रतिशत पद प्राप्त न हो जाय।

(viii) महिलाओं को 35% क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण के तहत गैर आरक्षित/आरक्षित कोटिवार पद उपलब्ध कराने के क्रम में ऊर्ध्वाधर (Vertical) आरक्षण के अन्तर्गत गैर आरक्षित वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग को अनुमान्य पदों (रिक्तियों) के विरूद्ध 35% की दर से पदों की गणना महिलाओं के लिए की जायेगी। कम से कम 03 (दो में नहीं) पदों के विरूद्ध महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत 01 पद अनुमान्य कराया जा सकेगा। इस क्रम में भिन्नांक 0.01 से 0.49 तक को 0 (शून्य) तथा 0.50 से 0.99 तक को 01 (एक) माना जायेगा। उदाहरण स्वरूप 1.49 = 01 तथा 1.50 = 02 माना जायेगा।

यदि कई समव्यवहारों में रोस्टर क्लीयरेंस की कार्रवाई की जाती है अथवा विभिन्न विभाग अलग–अलग अधियाचना भेजते हैं, जिसके आधार पर आयोग/अनुशंसी संस्थाएं समेकित रूप से विज्ञापन प्रकाशित करती हैं, तो ऐसी स्थिति में महिलाओं हेतु 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत पदों की गणना समव्यवहार (Transaction) वार अथवा विभागवार की जायेगी, न कि समेकित रूप से।

(ix) मात्र चालू रिक्ति के विरूद्ध ही दिव्यांगजन हेतु क्षैतिज आरक्षण, महिलाओं हेतु 35% क्षैतिज आरक्षण एवं स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों यथा–पोता/पोती/नाती/नतीनी को यथास्थिति क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

(x) महिलाओं हेतु 35% क्षैतिज आरक्षण तथा स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों यथा–पोता / पोती / नाती / नतीनी के लिए क्षैतिज आरक्षण को कैरी फारवर्ड नहीं किया जायेगा, यद्यपि दिव्यांगजन अधिनियम, 2016 की धारा–34(2) के आलोक में जहां कोई रिक्ति किसी भर्त्ती वर्ष में संदर्भित दिव्यांगजन की गैर उपलब्धता के कारण या कोई अन्य पर्याप्त कारण से नहीं भरी जा सकेगी, ऐसी रिक्ति गैर आरक्षित वर्ग में कर्णांकित करते हुए पश्चात्वर्त्ती भर्त्ती वर्ष में अग्रणित होगी।

(xi) बैकलॉग की गणना बिहार अधिनियम, 19 / 2023 के लागू होने के पश्चात् पहलीबार (First Tansaction) पुराने नियम अर्थात UR x 2 x पुराना आरक्षण प्रतिशत के अनुसार की जायेगी, जबकि दूसरी बार (Second Tansaction) से मात्र कुल कार्यरत बल के आधार पर नये आरक्षण प्रतिशत के अनुसार की जायेगी।

(xii) रोस्टर पंजी में जिस बिन्दु तक रोस्टर बिन्दु व्यवहृत हो चुका है, उसके ठीक बाद वाले रोस्टर बिन्दु से नया मॉडल रोस्टर के अनुसार कार्रवाई की जायेगी। उदाहरण स्वरूप यदि पुराने नियम के तहत रोस्टर बिन्दु–25 तक व्यवहृत हो चुका है, तो अगली कार्रवाई रोस्टर बिन्दु–26 से प्रारम्भ की जायेगी।

(xiii) संशोधित मॉडल रोस्टर एनेक्सचर–1, बिहार अधिनियम, 19 / 2023 के अधिनियमित होने के पश्चात् प्रथम सव्यवहार में किया जाने वाला रोस्टर क्लीयरेंस का नमूना एनेक्सचर–2 तथा बिहार अधिनियम, 19 / 2023 के अधिनियमित होने के पश्चात् द्वितीय एवं उसके अगले समव्यवहारों में किया जाने वाला रोस्टर क्लीयरेंस का नमूना एनेक्सचर–3 के रूप में संलग्न है।

(xiv) किसी भी बिन्दु पर अस्पष्टता अथवा विरोधाभाष की स्थिति में मूल अधिनियम / संकल्प / आदेश / परिपत्र (समय–समय पर यथासंशोधित) आदि का संदर्भ लिया जाय।

(xv) एतद् संबंधी पूर्व निर्गत आदेश / संकल्प / परिपत्र आदि के असंगत अंश (यदि हों) इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

(xvi) यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा।

विश्वासभाजन

(मो० सोहैल)
सचिव

एनेक्सचर–1

बिहार अधिनियम, 19/2023 के आलोक में 100 बिन्दुओं का मॉडल रोस्टर :–

1. अनारक्षित	51. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
2. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	52. अनारक्षित
3. अनुसूचित जाति	53. अनुसूचित जाति
4. अनारक्षित	54. पिछड़ा वर्ग
5. पिछड़ा वर्ग	55. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
6. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	56. अनारक्षित
7. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	57. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
8. अनारक्षित	58. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
9. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	59. अनुसूचित जाति
10. अनुसूचित जाति	60. पिछड़ा वर्ग
11. पिछड़ा वर्ग	61. अनारक्षित
12. अनारक्षित	62. अत्यन्त पिछड़ा वग
13. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	63. पिछड़ा वर्ग
14. अनुसूचित जाति	64. अनारक्षित
15. पिछड़ा वर्ग	65. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
16. अनारक्षित	66. अनुसूचित जाति
17. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	67. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
18. अनुसूचित जनजाति	68. अनारक्षित
19. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	69. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
20. अनारक्षित	70. पिछड़ा वर्ग
21. अनुसूचित जाति	71. अनुसूचित जाति
22. पिछड़ा वर्ग	72. अनारक्षित
23. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	73. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
24. अनारक्षित	74. अनुसूचित जाति
25. पिछड़ा वर्ग	75. पिछड़ा वर्ग
26. अनुसूचित जाति	76. अनारक्षित
27. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	77. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
28. अनारक्षित	78. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
29. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	79. अनुसूचित जाति
30. अनुसूचित जाति	80. अनारक्षित
31. पिछड़ा वर्ग	81. पिछड़ा वर्ग
32. अनारक्षित	82. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
33. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	83. अनुसूचित जाति
34. अनुसूचित जाति	84. अनुसूचित जनजाति
35. पिछड़ा वर्ग	85. अनारक्षित
36. अनारक्षित	86. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
37. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	87. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
38. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	88. पिछड़ा वर्ग
39. अनुसूचित जाति	89. अनुसूचित जाति
40. अनारक्षित	90. अनारक्षित
41. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	91. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
42. पिछड़ा वर्ग	92. पिछड़ा वर्ग
43. अनुसूचित जाति	93. अनुसूचित जाति
44. अनारक्षित	94. अनारक्षित
45. अत्यंत पिछड़ा वर्ग	95. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
46. पिछड़ा वर्ग	96. पिछड़ा वर्ग
47. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	97. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
48. अनारक्षित	98. अनुसूचित जाति
49. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	99. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
50. अनुसूचित जाति	100. अनारक्षित

एनेक्सचर–2

(बिहार अधिनियम, 19/2023 के अधिनियमित होने के पश्चात् प्रथम समव्यवहार में किया जाने वाला रोस्टर क्लीयरेंस का नमूना)

(i) कुल स्वीकृत बल – 20

(ii) कोटिवार कार्यरत बल – 06 (गैर आरक्षित वर्ग–05 एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग–01)
(अधियाचित रिक्ति, यदि हों सहित)

(iii) रिक्ति – 20 – 06 = 14

(iv) अंतिम व्यवहृत रोस्टर बिन्दु – 12

2. प्रस्तुत समव्यवहार में गैर आरक्षित वर्ग (5) के कार्यरत कर्मियों की संख्या आरक्षित वर्ग (01) के कार्यरत कर्मियों की संख्या से अधिक है। अतः समेकित रूप से बैकलॉग की स्थिति बनती है। इस प्रकार कुल रिक्त 14 पदों का रोस्टर बिन्दु–13 से 26 के विरूद्ध रोस्टर क्लीयरेंस का स्वरूप निम्नांकित होगा :–

बैकलॉग की गणना

(i) बैकलॉग की संख्या = गैर आरक्षित वर्ग की संख्या (EWS सहित) – आरक्षित वर्ग की संख्या
= 5 – 1
= 4

(ii) कोटिवार बैकलॉग की संख्या = (गैर आरक्षित वर्ग की संख्या) X 2 X संबंधित आरक्षित कोटि का पुराना आरक्षण प्रतिशत।

कोटि	अनुमान्यता	कार्यरत	बैकलॉग (कॉलम 2–3)
1	2	3	4
अनुसूचित जाति	5 X 2 X 16% = 1.60 = 2	0	2
अनुसूचित जनजाति	5 X 2 X 1% = 0.10 = 0	0	0
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	5 X 2 X 18% = 1.80 = 2	1	1
पिछड़ा वर्ग	5 X 2 X 12% = 1.20 = 1	0	1

कुल बैकलॉग–4

शुद्ध रिक्ति = 14 – 04 = 10

कोटिवार अनुमान्यता

कोटि	अनुमान्यता	कार्यरत + बैकलॉग	रिक्ति कॉलम (2–3)
1	2	3	4
अनुसूचित जाति	20 X 20% = 4.00 = 4	0 + 2 = 2	2
अनुसूचित जनजाति	20 X 2% = 0.40 = 1 (रोस्टर बिन्दु–18 पड़ने के कारण)	0 + 0 = 0	1
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	20 X 25% = 5.00 = 5	1 + 1 = 2	3
पिछड़ा वर्ग	20 X 18% = 3.60 = 4	0 + 1 = 1	3
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	10 X 10% = 1.00 = 1 (शुद्ध रिक्ति X 10%)	–	1

३५२

गैर आरक्षित वर्ग	कुल शुद्ध रिक्ति – सभी आरक्षित वर्गों को अनुमान्य कराये गए पद 10 – (2 + 1 + 3 + 3 + 1) 10 – 10 = 0	–	0

कुल – 10

3. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में कुल 14 पदों का रोस्टर बिन्दु–13 से 26 तक के विरूद्ध आच्छादित होने वाला रोस्टर क्लीयरेंस निम्नवत् प्रस्तावित है :–

(क) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–2622 दिनांक–26.02.2019 की अनुसूची–III के आलोक में बैकलॉग रिक्ति के तहत अनुमान्य पद–

(i) अनुसूचित जाति–रोस्टर बिन्दु–13 एवं 14 = 02 पद।

(ii) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग–रोस्टर बिन्दु–15 = 01 पद।

(iii) पिछड़ा वर्ग–रोस्टर बिन्दु–16 = 01 पद।

(ख) बिहार अधिनियम, 19/2023 के आलोक में चालू रिक्ति के तहत अनुमान्य पद–

(i) अनुसूचित जाति–रोस्टर बिन्दु–21 एवं 26 = 02 पद।

(यहाँ अनुसूचित जाति को मात्र 02 पद प्राप्त हो रहे हैं, अतः अनुसूचित जाति की महिला को 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत कोई पद अनुमान्य नहीं होगा।)

(ii) अनुसूचित जनजाति–रोस्टर बिन्दु–18 = 01 पद।

(यहाँ अनुसूचित जनजाति को मात्र 01 पद प्राप्त हो रहा है, अतः अनुसूचित जनजाति की महिला को 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत कोई पद अनुमान्य नहीं होगा।)

(iii) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग–रोस्टर बिन्दु–19, **20** एवं 23 = 03 पद।

(यद्यपि रोस्टर बिन्दु–20 गैर आरक्षित वर्ग को कर्णांकित है, परन्तु उसका कोटा पूर्ण होने एवं अनुमान्यतानुसार इसे अत्यन्त पिछड़ा वर्ग को अनुमान्य कराया गया है।)

(अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की महिला को 35% की दर से 3 x 35% = 1.05 अर्थात 1 (एक) पद क्षैतिज आरक्षण के रूप में अनुमान्य होगा।)

(iv) पिछड़ा वर्ग–रोस्टर बिन्दु–22, **24** एवं 25 = 03 पद।

(यद्यपि रोस्टर बिन्दु–24 गैर आरक्षित वर्ग को कर्णांकित है, परन्तु उसका कोटा पूर्ण होने एवं अनुमान्यतानुसार इसे पिछड़ा वर्ग को अनुमान्य कराया गया है।)

(पिछड़ा वर्ग की महिला को 35% की दर से 3 x 35% = 1.05 अर्थात 1 (एक) पद क्षैतिज आरक्षण के रूप में अनुमान्य होगा।)

(v) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग–रोस्टर बिन्दु–17 = 01 पद।

(यहाँ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मात्र 01 पद प्राप्त हो रहा है, अतः आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला को 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत कोई पद अनुमान्य नहीं होगा।)

(vi) गैर आरक्षित वर्ग ———————— 0 (शून्य) पद।

उपर्युक्त अनुमान्य कराये गए पदों में विभागीय संकल्प संख्या–962 दिनांक–22.01.2021 द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के आलोक में दिव्यांगता से ग्रस्त उम्मीदवारों को क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत निम्नवत् क्षैतिज आरक्षण देय होगा :–

(बशर्ते कि रोस्टर बिन्दु–01 से 16 तक के बीच दिव्यांगजन को पूर्व में कोई पद प्राप्त न हुआ हो)

रोस्टर बिन्दु	अंध और निम्न दृष्टि दिव्यांगता को	बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास दिव्यांगता को	चलंत दिव्यांगता जिसके अन्तर्गत प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, तेजाब	स्वपरायणता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता और मानसिक रूग्णता/संकल्प संख्या–962 दिनांक–22.01.	कुल

			आक्रमण से पीड़ित और पेशीय दुष्पोषण को	2021 की कंडिका–(8) के खण्ड–(क) से खण्ड–(घ) के अधीन बहुदिव्यांगता को	
17 से 26	1	0	0	0	1
कुल	1	0	0	0	1

उपर्युक्त अनुमान्य कराये गए पदों में विभागीय परिपत्र सं०–2526 दिनांक–18.02. 2016 के आलोक में राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी को प्रस्तुत समव्यवहार में 1 (एक) पद क्षैतिज आरक्षण के तहत् देय होगा।

नोट :–

(i) राज्य के मूलवासी को ही आरक्षण का लाभ देय होगा।

(ii) गुणागुण के आधार पर चयनित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की गणना गैर आरक्षित वर्ग में की जायेगी।

(iii) नियुक्ति के क्रम में सभी प्रचलित नियमों/अधिनियमों को ध्यान में रखा जाना अपेक्षित है।

(iv) नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन में बैकलॉग के रूप में उपलब्ध कराये गए पदों को अलग से दर्शाया जाना अपेक्षित है।

59

एनेक्सचर–3

(बिहार अधिनियम, 19/2023 के अधिनियमित होने के पश्चात् द्वितीय एवं अन्य समव्यवहारों में किया जाने वाला रोस्टर क्लीयरेंस का नमूना)

(i) कुल स्वीकृत बल – 25

(ii) कोटिवार कार्यरत बल – 03 (गैर आरक्षित वर्ग–03)
(अधियाचित रिक्ति, यदि हों सहित)

(iii) रिक्ति – 25 – 03 = 22

(iv) अंतिम व्यवहृत रोस्टर बिन्दु – 03

2. प्रस्तुत समव्यवहार में गैर आरक्षित वर्ग (3) के कार्यरत कर्मियों की संख्या आरक्षित वर्ग (शून्य) के कार्यरत कर्मियों की संख्या से अधिक है, अतः समेकित रूप से बैकलॉग की स्थिति बनती है। इस प्रकार कुल रिक्त 22 पदों का रोस्टर बिन्दु–04 से 25 के विरूद्ध रोस्टर क्लीयरेंस का स्वरूप निम्नांकित होगा :–

बैकलॉग की गणना

बैकलॉग की गणना कुल कार्यरत बल के आधार की जायेगी।

कोटि	अनुमान्यता	कार्यरत	बैकलॉग (कॉलम 2–3)
1	2	3	4
अनुसूचित जाति	3 x 20% = 0.60 = 1	0	1
अनुसूचित जनजाति	3 x 2% = 0.06 = 0	0	0
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	3 x 25% = 0.75 = 1	0	1
पिछड़ा वर्ग	3 x 18% = 0.54 = 1	0	1

कुल बैकलॉग–3

शुद्ध रिक्ति = 22 – 03 = 19

कोटिवार अनुमान्यता

कोटि	अनुमान्यता	कार्यरत + बैकलॉग	रिक्ति कॉलम (2–3)
1	2	3	4
अनुसूचित जाति	25 x 20% = 5.00 = 5	0 + 1 = 1	4
अनुसूचित जनजाति	25 x 2% = 0.50 = 1 (रोस्टर बिन्दु–18 पड़ने के कारण)	0 + 0 = 0	1
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	25 x 25% = 6.25 = 6	0 + 1 = 1	5
पिछड़ा वर्ग	25 x 18% = 4.50 = 5	0 + 1 = 1	4
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	19 x 10% = 1.90 = 2 (शुद्ध रिक्ति x 10%)	–	2

गैर आरक्षित वर्ग	कुल शुद्ध रिक्ति – सभी आरक्षित वर्गों को अनुमान्य कराये गए पद 19 – (4 + 1 + 5 + 4 + 2) 19 – 16 = 3	–	3

कुल – 19

3. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में कुल 22 पदों का रोस्टर बिन्दु–04 से 25 तक के विरूद्ध आच्छादित होने वाला रोस्टर क्लीयरेंस निम्नवत् प्रस्तावित है :–

(क) बिहार अधिनियम, 19/2023 के आलोक में बैकलॉग रिक्ति के तहत अनुमान्य पद–

(i) अनुसूचित जाति–रोस्टर बिन्दु–04 = 01 पद।

(ii) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग–रोस्टर बिन्दु–05 = 01 पद।

(iii) पिछड़ा वर्ग–रोस्टर बिन्दु–06 = 01 पद।

(ख) बिहार अधिनियम, 19/2023 के आलोक में चालू रिक्ति के तहत अनुमान्य पद–

(i) अनुसूचित जाति–रोस्टर बिन्दु–10, 14, **20** एवं 21 = 04 पद।

(यद्यपि रोस्टर बिन्दु–20 गैर आरक्षित वर्ग को कर्णांकित है, परन्तु उसका कोटा पूर्ण होने एवं अनुमान्यतानुसार इसे अनुसूचित जाति को अनुमान्य कराया गया है।)

(अनुसूचित जाति की महिला को 35% की दर से 4 x 35% = 1.40 अर्थात 01 (एक) पद क्षैतिज आरक्षण के रूप में अनुमान्य होगा।)

(ii) अनुसूचित जनजाति–रोस्टर बिन्दु–18 = 01 पद।

(यहाँ अनुसूचित जनजाति को मात्र 01 पद प्राप्त हो रहा है, अतः अनुसूचित जनजाति की महिला को 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत कोई पद अनुमान्य नहीं होगा।)

(iii) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग–रोस्टर बिन्दु–9, 13, 19, 23 एवं **24** = 05 पद।

(यद्यपि रोस्टर बिन्दु–24 गैर आरक्षित वर्ग को कर्णांकित है, परन्तु उसका कोटा पूर्ण होने एव अनुमान्यतानुसार इसे अत्यन्त पिछड़ा वर्ग को अनुमान्य कराया गया है।)

(अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की महिला को 35% की दर से 5 x 35% = 1.75 अर्थात 2 (दो) पद क्षैतिज आरक्षण के रूप में अनुमान्य होगा।)

(iv) पिछड़ा वर्ग–रोस्टर बिन्दु–11, 15, 22 एवं 25 = 04 पद।

(पिछड़ा वर्ग की महिला को 35% की दर से 4 x 35% = 1.40 अर्थात 1 (एक) पद क्षैतिज आरक्षण के रूप में अनुमान्य होगा।)

(v) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग–रोस्टर बिन्दु–7 एवं 17 = 02 पद।

(यहाँ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मात्र 02 पद प्राप्त हो रहा है, अतः आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला को 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत कोई पद अनुमान्य नहीं होगा।)

(vi) गैर आरक्षित वर्ग–रोस्टर बिन्दु–8, 12 एवं 16 = 03 पद।

(गैर आरक्षित वर्ग की महिला को 35% की दर से 3 x 35% = 1.05 अर्थात 1 (एक) पद क्षैतिज आरक्षण के रूप में अनुमान्य होगा।)

उपर्युक्त अनुमान्य कराये गए पदों में विभागीय संकल्प संख्या–962 दिनांक–22.01.2021 द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के आलोक में दिव्यांगता से ग्रस्त उम्मीदवारों को क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत निम्नवत् क्षैतिज आरक्षण देय होगा :–

रोस्टर बिन्दु	अंध और निम्न दृष्टि दिव्यांगता को	बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास	चलंत दिव्यांगता जिसके अन्तर्गत प्रमस्तिष्क घात,	स्वपरायणता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता और मानसिक	कुल

		दिव्यांगता को	रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, तेजाब आक्रमण से पीड़ित और पेशीय दुष्पोषण को	रूग्णता/संकल्प संख्या–962 दिनांक–22.01.2021 की कंडिका–(8) के खण्ड–(क) से खण्ड–(घ) के अधीन बहुदिव्यांगता को	
07 से 25	1	0	0	0	1
कुल	1	0	0	0	1

उपर्युक्त अनुमान्य कराये गए पदों में विभागीय परिपत्र सं०–2526 दिनांक–18.02.2016 के आलोक में राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी को प्रस्तुत समव्यवहार में 1 (एक) पद क्षैतिज आरक्षण के तहत् देय होगा।

नोट :–

(i) राज्य के मूलवासी को ही आरक्षण का लाभ देय होगा।

(ii) गुणागुण के आधार पर चयनित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की गणना गैर आरक्षित वर्ग में की जायेगी।

(iii) नियुक्ति के क्रम में सभी प्रचलित नियमों/अधिनियमों को ध्यान में रखा जाना अपेक्षित है।

(iv) नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन में बैकलॉग के रूप में उपलब्ध कराये गए पदों को अलग से दर्शाया जाना अपेक्षित है।

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांकः–1/अ0प्र0–06–31/2019 8048 /पटना, दिनांक 21/12/23

प्रतिलिपिः– सभी मुख्य अभियंता/प्रशासनिक पदाधिकारी, ब्राडा/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–4, 5, 6, 8, 11 /आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विश्वासभाजन

19/12/23

(कुमार अनिल सिन्हा)
सरकार के उप सचिव

Sujit Memo 2023 Super Comp